## Central Goods & Services Tax Rules, 2017

## Rule 51: Refund voucher

A refund voucher referred to in clause (e) of sub-section (3) of section 31 shall contain the following particulars, namely:-

- (a) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the supplier;
- (b) a consecutive serial number not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, containing alphabets or numerals or special characters hyphen or dash and slash symbolised as "-" and "/"respectively, and any combination thereof, unique for a financial year;
- (c) date of its issue;
- (d) name, address and Goods and Services Tax Identification Number or Unique Identity Number, if registered, of the recipient;
- (e) number and date of receipt voucher issued in accordance with provisions of rule 50;
- (f) description of goods or services in respect of which refund is made;
- (g) amount of refund made;
- (h) rate of tax (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess);
- (i) amount of tax paid in respect of such goods or services (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess);
- (j) whether the tax is payable on reverse charge basis; and
- (k) signature or digital signature of the supplier or his authorized representative.

www.cggst.com

## केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

## नियम 51: प्रतिदाय वाउचर

धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (ड.) में निर्दिष्ट प्रतिदाय वाउचर में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :—

- (क) प्रदायकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर;
- (ख) एक सतत क्रम संख्या, जिसमें एक या बहुल श्रृंखलाओं में 16 से अधिक कैरेक्टर नहीं होंगे, जिसमें वर्णमाला या अंकों या विशेष चिन्ह हाइफन या डैस और स्लैस अंतर्विष्ट होंगे, जिन्हें क्रमशः "—" और "/" के रूप में और उनके किसी संयोजन के रूप में किसी वित्त वर्ष के लिए विशिष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा ;
- (ग) जारी करने की तारीख;
- (घ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर या विशिष्ट पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है तो;
- (ड.) नियम 50 के उपबंधों के अनुसार जारी प्राप्ति वाउचर का नंबर और तारीख;
- (च) उन मालों या सेवाओं का विवरण, जिनके संबंध में प्रतिदाय किया गया है;
- (छ) प्रतिदाय की गई रकम;
- (ज) कर की दर (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या उपकर);
- (झ) ऐसे मालों या सेवाओं के संबंध में संदत्त कर की रकम (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या उपकर);
- (ञ) क्या कर विलोम प्रभार आधार पर संदेय है; और
- (ट) प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर।